(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 10/2019
पंजीकरण संख्या :– 2019/00032

बउनवान

कैलाशचंद आयु 81वर्ष पुत्र बंशीलाल जाति बैरागी निवासवी राई हाल निवासी छीपाबडौद तहसील छीपाबडौद जिला बारॉ (राज.)

(अपीलांट)

बनाम

1. तहसीलदार तहसील छीपाबडौद जिला बारॉ (राज.)
2. ग्राम सेवा सहकारी समिति हरनावदाशाहजी तहसील छीपाबडौद
3. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. शाखा छीपाबडौद जिला बारां

(रेस्पोडेन्टगण)

अपील विरूद्ध तहसीलदार, छीपाबडौद के तस्दीकी इंतकाल नम्बर 1101 दर्ज दिनांक 29.07.2018 वाके ग्राम राई तहसील छीपाबडौद की अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– श्री नरेन्द्र सिंह हाड़ा अभिभाषक (अपीलांट)
2– पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2)
3– अनुपस्थित (रेस्पोडेन्ट क्रम 3)

निर्णय दिनांक 31.05.2024

अपीलांट द्वारा जरिये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबडौद के तस्दीकी इंतकाल नम्बर 1101 दिनांक 19.07.2018 वाके ग्राम राई तहसील छीपाबडौद जिला बारॉ से अप्रसन्न होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्टगण के इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 25.06.2019 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया जिसकी रसीद पत्रावली में संलग्न है। प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट क्रम 01 व 02 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित है। रेस्पोडेन्ट क्रम 03 अनुपस्थित है। रेस्पोडेन्ट क्रम 02 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय से मूल इंतकाल तलब किया गया जो प्राप्त होने पर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस अपील मेमो के तथ्यो को दोहराते हुये कहा गया कि आराजी खसरा नंबर 638 रकबा 04 बीघा वाके ग्राम राई तहसील छीपाबडौद जिला बारां में है जो मुताबिक जमाबंदी वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है। उक्त आराजियात पर अपीलांट द्वारा पूर्व में भारतीय स्टेट बैंक शाखा छीपाबड़ौद से ऋण ले रखा है जिसका इंद्राज भी जमाबंदी में हो रहा है तथा रेस्पोडेन्ट क्रम 02 द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से इंतकाल संख्या 1101 दिनांक 19.07.2018 रेस्पोडेन्ट [illegible] से स्वीकृत करवाकर अपीलांट के खाते की आराजी को रेस्पोडेन्ट क्रम 02 के पक्ष में रहन दर्ज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.07.2018 कानून एवं प्राकृतिक [illegible] के खिलाफ होने से खारिज करने योग्य है। अपील में वर्णित आराजियात पूर्व में रेस्पोडेन्ट क्रम 03 के पक्ष में [illegible] रखी हुई है तथा जब आराजियात एक ऋणदाता संस्था के यहां [illegible] है तो वहीं आराजियात [illegible] ऋणदाता संस्था के यहां बंधक नहीं की जा सकती है लेकिन इसके बावजूद रेस्पोडेन्ट क्रम 01 ने बिना किसी ठोस आधार के अपीलांट की आराजियात को रेस्पोडेन्ट क्रम 02 के पक्ष में रहन दर्ज करके इंतकाल निर्णित करने में कानूनी भूल की है। रेस्पोडेन्ट क्रम 01 द्वारा केवल बारां केंद्रीय सहकारी बैंक लि0 के पत्र दिनांक 10.07.2018 के आधार पर हीं इंतकाल संख्या 1101 निर्णित करने में भारी भूल की है। उक्त इंतकाल निर्णित करने से पूर्व न ता अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया और न हीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.06.06 12:00:47 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट को कोई सूचना दी और मनमाने तौर पर इंतकाल खोल दिया। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के उक्त इंतकाल संख्या 1101 दिनांक 19.07.2018 का सर्वप्रथम ज्ञान दिनांक 20.05.2019 को पटवारी पटवार हल्का से नकल लेने पर हुआ। अपीलांट ने दिनांक 22.05.2019 को उक्त निर्णय की नकल लेने हेतु नकल का प्रार्थनापत्र पेश किया जिसकी नकल अपीलांट को दिनांक 22.05.2019 को प्राप्त हुई। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.07.2018 का ज्ञान अपीलांट को सर्वप्रथम दिनांक 22.05.2019 को होने से तथा निर्णय की नकल दिनांक 22.05.2019 को प्राप्त होने से उक्त अपील अंदर मियाद प्रस्तुत की गई है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर इंतकाल संख्या 1101 ग्राम राई को निरस्त किये जाने का आदेश फरमाने की कृपा करे।

रेस्पोडेन्ट क्रम 01 व 02 की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा प्रकरण में अध्यक्ष हरनावदाशाहजी ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 से प्राप्त जवाब अनुसार दौराने बहस कथन किया कि सहकारिता विभाग द्वारा पूर्व व्यवस्थापक कैलाशचंद वैष्णव को गबन का दोषी मानते हुए कैलाशचंद की भूमि खसरा नं. 638 रकबा 04 बीघा को इंतकाल संख्या 1101 दिनांक 19.07.2018 के तहत जमीन सहकारी समिति हरनावदाशाहजी के नाम रहन दर्ज है। वर्तमान में इंतकाल में एस. बी.आई. शाखा का कोई रहन दर्ज नहीं है। एस.बी.आई. का लिया गया ऋण सहकारी संस्था हरनावदाशाहजी ने जमा करवाकर रहन एस.बी.आई. से मुक्त करवा लिया है। ऐसी स्थिति मे अपील को खारिज किया जाना न्यायोचित होगा।

प्रकरण में उभयपक्ष के अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत फर्द दस्तावेज पर मनन किया गया। प्रकरण हरनावदाशाहजी ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 तहसील छीपाबडौद जिला बारां, जिसमें श्री कैलाश चंद पुत्र बंशीलाल वैष्णव पूर्व व्यवस्थापक के रूप में कार्यरत थे। न्यायालय उप रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 98/2015 में राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 57(2) के अंतर्गत गबन राशि का दोषी मानते हुए निर्णय दिनांक 07.09.2018 को पारित किया गया है। कैलाशचंद की भूमि खसरा नं. 638 रकबा 04 बीघा को इंतकाल संख्या 1101 दिनांक 19.07.2018 के तहत जमीन सहकारी समिति हरनावदाशाहजी के नाम रहन दर्ज है। वर्तमान में इंतकाल में एस.बी.आई. शाखा का कोई रहन दर्ज नहीं है। एस.बी.आई. का लिया गया ऋण सहकारी संस्था हरनावदाशाहजी ने जमा करवाकर रहन एस.बी.आई. से मुक्त करवा लिया है। उक्त प्रकरण राशि गबन संबंधी होने से यह न्यायालय किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझता है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबडौद के तस्दीकी इंतकाल नम्बर 1101 दिनांक 19.07.2018 वाके ग्राम राई तहसील छीपाबडौद जिला बारॉ यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक **31.05.2024** को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.06.06 12:00:47 IST
Reason: SelfAttested

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर
बारॉ